

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 मार्च 2018—फाल्गुन 16, शक 1939

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2018

क्रमांक एफ-3-5-2017-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित की गई सोसाइटियां उसके कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा, उसके कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किये जाने पर, स्वीकार एवं नियोजित करेंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)
1 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश.	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. प्रबंधक (लेखा) 3. नोडल अधिकारी (एक से अधिक राजस्व जिलों वाले बैंकों के लिए).		राज्य के समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

No. F-3-5-2017-XV-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and sub-section (3) of Section 54 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government hereby, specifies that the societies mentioned in column (4) of the Schedule below shall accept and employ officers mentioned in column (3) thereof, when deputed by the officer mentioned in column (2) thereof, namely:—

SCHEDE

(1)	(2)	(3)	(4)
1 Registrar Cooperative Societies, Madhya Pradesh.		1. Chief Executive Officer 2. Manager (Accounts) 3. Nodal Officer (for Banks having more than one revenue Districts).	All District Central Cooperative Banks of the State.

क्रमांक एफ-३-५-२०१७-पन्नह-१.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट की गई सोसाइटियां उसके कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा, उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रतिनियुक्त किये जाने पर, स्वीकार एवं नियोजित करेंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)
1 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, मुख्यालय से संबंधित उप/ सहायक रजिस्ट्रार (जिला अधिकारी) सहकारी समितियां.		समिति प्रबंधक	राज्य की समस्त सेवा, वृहत्ताकार, कृषक, आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां.

No. F-3-5-2017-XV-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and sub-section (3) of Section 54 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government hereby, specifies that the societies mentioned in column (4) of the Schedule below shall accept and employ officers mentioned in column (3) thereof, when deputed by the officer mentioned in column (2) thereof, namely:—

SCHEDE

(1)	(2)	(3)	(4)
1 Deputy/Assistant Registrar (District Officer) Cooperative Societies of the concerned District Central Cooperative Bank, HQ.		Society Manager	All Primary Agriculture Cooperative Credit Societies consisting off all Service, Large scale, Farmers, Lamps of the State.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.